

भारत सरकार/Government of India वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance राजस्व विभाग/Department of Revenue

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूर-। आयुक्तालय, पी.बी.सं.5400, केंद्रीय राजस्व भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूर-560 001

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE: BENGALURU - I COMMISSIONERATE, P.B. No.5400, C.R. Building, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.

ЭП/.Commissioner : 080 - 22864073

ईमैल/email: commr-cexblr1@nic.in

www.centralexcisebangalore.gov.in

फेक्स/Fax: Commissioner: 080 - 22864170

व्यापार सूची/TRADE NOTICE Central Excise Trade Notice No. 09/2015 dated 06.08.2015

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेंगलूर-II आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों में सेवोत्तम का कार्यान्वयन के संबंध में ।

Subject: Implementation of SEVOTTAM within the Divisions of Bengaluru-II Central Excise Commissionerate - Reg

व्यापार का ध्यानाकर्षित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रदत्त लोक सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं । लोक सेवाओं की ग्णवत्ता को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कदम के अंश के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जो अधीनस्थ संगठनों का प्रबंध निकाय है ने इस आयुक्तालय को लोक सेवाओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली नामत: 'सेवोत्तम' के कार्यान्वयन करने के लिए चयनित किया गया है । यह प्रणाली भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानक-आई एस 15700: 2005 आधारित है।

Attention of the trade is invited to the various efforts made by the Department to improve the quality of public services rendered by the Department. As part of the Central Government's initiative to improve the quality of public services, at all India level, the Central Board of Excise & Customs, the governing body of field formations has identified this Commissionerate to implement a Quality Management System namely 'SEVOTTAM' for public services. This system is based on the Indian Standard - IS 15700: 2005 developed by the Bureau of Indian Standards.

एक प्रशासनिक नागरिक-केंद्रीकृत उपाय के तौर पर भारत सरकार के केंद्र सरकार विभागों में सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने हेतु, प्रशासनिक उन्नति एवं लोक शिकायत विभाग ने सेवोत्तम के माध्यम से लोक सेवा रक्षण में उत्कृष्ठता मानदण्ड हेतु प्रतिदर्श का विकास किया । यह संगठनों के रूपरेखा निर्धारण और नागरिकों के लिए प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का सुधार प्रदान करता है।

To improve the quality of services in the Central Government Departments of Government of India, as an administrative citizen-centric measure, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances has developed a model for benchmarking excellence in Public Service Delivery through Sevottam. It provides the frame work to organizations to assess and improve the quality of service delivery for the citizens.

सी.बी.ई.सी. कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंश के अनुसार, व्यापार एवं सार्वजनिक को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 5 अगस्त 2015 से बेंगलूर-II आयुक्तालय के सभी मंडल